भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 257

जिसका उत्तर सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को दिया गया

प्रतिभूति-रहित ऋण वितरण

257. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रतिभूति-रहित ऋण वितरण के विनियमन हेतु कोई विशेष उपाय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एनबीएफसी संस्थानों हेतु नए दिशानिर्देश बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 16.11.2023 के अपने परिपत्र के माध्यम से उपभोक्ता ऋण और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक ऋण देने के संबंध में विनियामकीय उपायों से संबंधित विभिन्न मात्रात्मक और गुणात्मक उपायों को लागू किया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, उपभोक्ता ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों में वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी के एक्सपोजर के जोखिम भार में वृद्धि भी शामिल है। विनियमित संस्थाओं को यह भी सलाह दी गई है कि वे उपभोक्ता ऋण के लिए अपनी मौजूदा क्षेत्रीय एक्सपोजर सीमाओं, विशेष रूप से सभी असुरक्षित उपभोक्ता क्रेडिट एक्सपोजर के लिए सीमाओं की समीक्षा करें और उपभोक्ता ऋण के तहत विभिन्न उप-खंडों के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाओं को लागू करें जिन्हें विवेकशील जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाए। इस प्रकार तय की गई सीमाओं का जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निरंतर आधार पर सख्ती से अनुपालन और निगरानी किया जाना अपेक्षित है।

इसके अलावा, आरबीआई ने दिनांक 19.10.2023 (दिनांक 10.11.2023 को अद्यतन) को मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (एनबीएफसी-स्केल आधारित विनियमन) दिशानिर्देश, 2023 जारी किया है। मास्टर दिशानिर्देश एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों, अर्थात एनबीएफसी-बेस लेयर, एनबीएफसी-मिडिल लेयर, एनबीएफसी-अपर लेयर आदि, के लिए लागू होता है जो आकार, क्रिया-कलापों के पैमाने, अनुमानित जोखिम और कार्य पर निर्भर करता है।

******